राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, भीलवाड़ा

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 100/2022 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री दिलीप कुमार बिरानी निवासी आर0सी0 व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा **बनाम** लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा

––अपीलार्थी ––प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :– प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि।

निर्णय

दिनांक : 17.01.2023

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 25.11.2022 को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर से प्राप्त हुई जिसमें अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के एक आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा को दिनांक 18.10.2022 को प्रेषित किया, किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 30.11.2022 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा कार्यालय के पत्रांक 1890 दिनांक 01.12.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं :–

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही गयी सूचना/जवाब तैयार कर कार्यालय जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा के पत्रांक रसद/2022/1863 दिनांक 12.10.2022 से अपीलार्थी/प्रार्थी को प्रेषित कर दी गयी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित कर दिये जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 17–01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा